मालपुरा में अमृत महोत्सव जम्बूरेट का ध्वज पहराकर किया शुभारम्भ

500 से अधिक स्काउट, 300 से अधिक गाइड ले रहे है हिस्सा

मालपुरा (निस) राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाईड स्थानीय संघ मालपुरा की और से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा खेल मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय स्काउट गाईड अमृत महोत्सव जम्बूरेट प्रतियोगिता रैली का शुभारम्भ गुरूवार को उप जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार चौधरी व स्काउट सीओ गिरिराज गर्ग एवं गाईड सीओ आचु मीणा,सीबीईओ बाबूलाल गुप्ता ने स्काउट ध्वज पहरा कर शुभारम्भ किया।

रघुवीर सिंह ने बताया कि मालपुरा में आयोजित हो रहे जिला स्तरीय अमृत महोत्सव जम्बूरेट प्रतियोगिता रैली में 500 से अधिक स्काउट 300 से अधिक गाइड, 200 से अधिक शिक्षक व प्रशिक्षक भाग ले रहे है। स्कुल खेल मैदान पर बडे भाग मे स्काउट पेट्रोलिंग तम्बू व अस्थाई आवास बनाये गये है एवं 9 से 13 जनवरी तक आयोजित जम्बूरेट मे 11 जनवरी को नगर भ्रमण,जनचेतना रैली,ईको क्लब प्रतियोगिताऐं एवं 12 जनवरी को स्काउट गाईड प्रदर्शनी व दर्शक दिवस समारोह का आयोजन होगा तो 13 जनवरी को समापन समारोह मे होगा पुरस्कार वितरण।

मालपुरा में आयोजित जिला स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी का एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने झण्डारोहण कर शुभारम्भ किया।

■ **13 जनवरी को समापन समारोह मे होगा पुरस्कार वितरण।**

जिलेभर से बडी संख्या मे पहुंचे स्काउट गाईड के झण्डारोहण समारोह मे कई हेरतअंगेज प्रदर्शन किया तो अतिथियो ने स्काउट गाईड के 75 वें स्थापना दिवस अमृत महोत्सव के उपलक्ष मे आयोजित जम्बूरी मे मार्च फास्ट की सलामी ली। इस दौरान समारोह मे सीनियर सैकेण्डरी स्कुल मालपुरा प्रधानाचार्या अल्का पारीक व चांदसेन प्रधानाचार्य किशन टेलर सहित अतिथियो का आयोजको की और से स्काउट बैच लगा स्काउट स्कार्फ पहनाकर स्वागत अभिनन्दन किया।

151 गर्भवती व बच्चों का टीकाकरण

कोटपूतली। खण्ड कोटपूतली में गुरूवार 09 जनवरी को बीसीएमओ डॉ. पूरण चन्द गुर्जर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान का आयोजन किया गया। उक्त अभियान प्रतिमाह 09, 18 व 27 तारीख को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित किया जाता है।

जिसका मुख्य उद्देश्य हाईरिस्क में आने वाली महिलाओं को चिन्हिकरण करने में किया जाता है, ताकि उन महिलाओं को प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु से बचाया जा सकें। अभियान के तहत एएनसी पंजीकरण, फॉलोअप, टीकाकरण, एनिमिया की पहचान कर उनका उपचार किया जाता है। बीपीएम विजय तिवाड़ी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में से जो महिलायें द्वितीय व तृतीय त्रिमाही में चल रही है, उनकी कम से कम एक सोनोग्राफी जांच मान्यता प्राप्त निजी सोनोग्राफी केन्द्र पर निरूशुल्क करवाई जा रही है। ब्लॉक कोटपूतली में गुरूवार को 41 वाउचर जनरेट कर सोनोग्राफी करवाई गई। ताकि गर्भावस्था में होने वाली संभावित जटिलताओं को समय पूर्व पता लगाकर मातृ एवं शिशू मृत्यु दर में कमी लाई जा सकें।

स्कूलों का औचक निरीक्षण

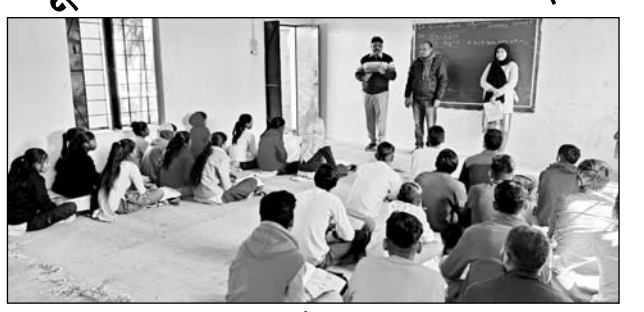

टोंक में एसीबीईओ ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया।

टोंक। टोंक ब्लॉक के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्ण गोपाल शर्मा ने सरकारी स्कूलों में चल रहे पढाई विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के तहत सोनवा, अरनिया माल, ऊम, काबरा व झालरा सीनियर सैकेंडरी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शर्मा ने विद्यार्थियों को पढ़ाई विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के फायदों से अवगत कराया, साथ ही प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

साइबर जागरूकता कार्यक्रम हुआ

पावटा। पुलिस मुख्यालय द्वारा अयोजित सड़क सुरक्षा माह मे जिला कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली वैभव शर्मा के सुपरविजन मे सड़क सुरक्षा माह के तहत भाबरु थाना पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाबरु थाना पुलिस एएसआई भोला राम व हेड कांस्टेबल सिकंदर द्वारा ग्राम बागावास अहिरान व आंतेला मे सडक़ सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी गई।

कचरा निस्तारण के निर्देश दिए

सांभरझील, (निसं)। सांभर उप कारागृह के नजदीक डंपिंग यार्ड में एकत्रित कचरे से उठ रही बदबू व पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती संभावना के मद्देनजर न्यायिक अधिकारी के निर्देश पर अब इसके निस्तारण के लिए खुद अधिशाषी अधिकारी शिवराज कृष्णा ने जिम्मेदारी ली है।

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजीत कुमार हिंगर द्वारा कुछ समय पूर्व जेल का निरीक्षण किये जाने के समय जेल के समीप स्थित डम्पिंग यार्ड से उत्पन्न बदबू के मामले में संज्ञान लेकर इस संदर्भ में डम्पिंग यार्ड के कचरे के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए थे। इसी संदर्भ में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सांभर द्वारा अधिशाषी अधिकारी फुलेरा को शीघ्रता से डम्पिंग यार्ड के कचरे के निस्तारण के संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा था। बताया गया कि तत्कालीन अधीशाषी अधिकारी के द्वारा डम्पिंग यार्ड में पडे हुए कचरे के निस्तारण का कार्य फर्म को दिया गया है। शिवराज कृष्णा ने जवाब दिया कि डम्पिंग यार्ड में मशीनरी स्थापित कर निस्तारण का कार्य करीब एक माह में पूर्ण करवा दिया जाएगा।

न्यायाधीश अरविन्द कुमार जांगिड़ के द्वारा गुरुवार को सायंकाल यार्ड का अधिशाषी अधिकारी शिवराज कृष्णा की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। बताया गया कि डम्पिंग यार्ड स्थल पर कचरे के निस्तारण हेतु मशीन स्थापित कर दी गई है तथा निस्तारण कार्य जारी है। ।

तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

निवाई । निवाई थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरे हुए तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर तीनों के चालकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि डीवाईएसपी मृत्यंजय मिश्रा के निर्देशन में गठित टीम ने झिलाय रोड पर स्थित मॉडल विद्यालय व कृषि महाविद्यालय के समीप नाकाबंदी की। इस दौरान अवैध बजरी से भरे तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रहे थे। पुलिस नाकाबंदी देखकर चालकों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को साईड में खडा कर भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उनकों पकड़ कर पूछताछ की तो उन्होंने वैध कागजात नहीं होना बताया जिस पर पुलिस ने चालक कंवरपाल गुर्जर व राहुल गुर्जर दोनों निवासी मण्डावर पुलिस थाना बरोनी व जगराम गुर्जर निवासी सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया।

गणतंत्र दिवस पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध

टोंक। जिले में पशुपालन विभाग द्वारा 14 से 31 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा।

संयुक्त निदेशक डॉ. छोटूलाल बैरवा ने बताया कि पखवाड़े में विभाग द्वारा जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, करूणा व दया भाव जागृत करने की दृष्टि से पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा बांझ निवारण एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाकर पशुओं को संक्रामक रोगो से बचाव के लिए टीकाकरण, कृमिनाशक औषधि पिलाना आदि कार्य किये जाएंगे। साथ ही, गणतंत्र दिवस, सर्वोदय दिवस एवं शहीद दिवस के अवसर पर पशु-पक्षियों का वध तथा मांस आदि की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। संयुक्त निदेशक डॉ. बैरवा ने विभाग के समस्त पशु चिकित्सालय प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वह पखवाड़े के तहत अपनी संस्थाओं में संगोष्ठी का आयोजन करें साथ ही, गौशालाओं में पशुओं का टीकाकरण, पशुपालकों के पशुओं को संक्रामक रोगों के बचाव के लिए कृमिनाशक औषधि एवं आक्सीटोसीन का टीका लगाएं। खेलियों की सफाई कर उन्हें जल से भरना, पशु पखवाड़े पर वाद-विवाद, चित्रकलां एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाना सुनिश्चित करेंगे।

इसके साथ ही, पशुओं से मनुष्य में होने वाले रोगों के बारे में पशु पखवाड़े के माध्यम से पशुपालकों को इसकी जानकारी देकर अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। संयुक्त निदेशक डॉ. बैरवा ने कहा कि पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियो की जान के खतरे को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने धातु निर्मित मांझा नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चायनीज मांझा जो सिंथेटिक, टौक्सिक मेटेरियल, आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो के थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को टोंक जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधित किया है। संयुक्त निदेशक ने कहा कि पशुपालक पशुओं को गाड़ी में जोतकर उन पर क्षमता से अधिक भार ना ढोहे। संयुक्त निदेशक ने जिले के समस्त पशुचिकित्सकों को निर्देशित किया है कि वे पशुओं को संक्रामक रोगो से बचाने के लिए टीकाकरण, कृमिनाशक एवं औषधि पिलाना सुनिश्चित करेंगे।

'मोबाइल पर बैंक सम्बंधी जानकारी नहीं दें'

कोटपूतली। स्थानीय हंस कॉलेज में गुरूवार को पुलिस द्वारा सडक सुरक्षा माह जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थियों को सडक सुरक्षा व साईबर क्राईम के संबंध में जागरूक किया गया।

डीएसपी राजेन्द्र कुमार बुरडक ने कहा कि साईबर अपराध के शिकार होने से बचने के लिये मोबाईल और संचार साधनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सोशल साईट्स एप के उपयोग से पहले उनकी प्राईवेसी जरूर चैक करनी चाहिये। मोबाइल पर किसी को भी अपने बैंक खाते व एटीएम से संबंधित जानकारी ना देवें। ऑनलाईन शॉपिंग करते समय भी सजगता बरतनी चाहिये। हनी ट्रेपिंग जैसे मामलों में लोगों को इस तरह की ठगी के प्रति जागरूक रहना चाहिये। आधार कार्ड के द्वारा भी साईबर ठगी के मामले बढने लगे हैं। साईबर क्राईम से बचने हेतु राज्य सरकार के हैल्पलाईन नम्बर 1930 पर कॉल कर सकते है। थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें, अन्यथा जुर्माना व जानमाल की क्षति हो सकती है। नशा करना स्वयं के साथ-साथ संपूर्ण समाज के लिये हानिकारक है। नशा प्रवृत्ति अपराधों को बढ़ावा देती है। अत: विद्यार्थी सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहें।

प्राचार्य डॉ. एस. के. शर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि हमें एक स्वस्थ एवं अपराध रहित समाज के निर्माण हेतु प्रयासरत रहना चाहिये। हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले सभी प्रकार के लोगों, साधनों व तरीकों से दूर रहना चाहिये। अच्छे लोगों की संगत रखें और अपना उत्तम चारित्रिक विकास करें। पर्वतारोही प्रदीप यादव, प्रिया कुमारी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। हंस लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रेमप्रकाश यादव ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन दयानन्द माण्डैया ने किया। इस दौरान सुनील सैनी, मुकेश सैनी, सुनील कुमार, डॉ. मन्नु कुमारी, राजवीर यादव, ममता यादव, गजानन्द यादव, विजय सिंह, कालूराम सैनी, हेमन्त सैनी आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यन्त के निर्देशानुसार सडक सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। एएसपी वैभव शर्मा के निर्देशन में ट्रैफिक इंचार्ज रामकिशोर द्वारा जगह-जगह स्कूल, कॉलेज, बाजार में नुक्कड़ सभा कर यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देकर लोगों को जागरुक किया गया। इसी प्रकार निकटवर्ती पनियाला थाना पुलिस द्वारा यातायात नियमों व साईबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। थाना पुलिस की टीम द्वारा कॉलेज व स्कूल के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों व साईबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी देकर जागरुक किया गया।

कार्य बहिष्कार किया

पावटा। विराटनगर पावटा खंड कार्यालय के अधीन कार्यरत पीएचईडी विभाग के अधीनस्थ ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को पेयजल योजना के संचालन में पीएचईडी के अधिकारियों की उदासीनता के चलते दो साल से वेतन नहीं मिला है। इससे आक्रोशित कर्मचारियों ने बुधवार को हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार कर दिया।

इसके चलते काम ठप होने से पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। जिसके चलते कस्बे सहित कई गांवों की पानी की सुबह के समय होने वाली सप्लाई बाधित रही। बुधवार को पेयजल योजना से लाभांवित कस्बे सहित कई गांवों की जलापूर्ति नहीं की गई। इसका मुख्य कारण पेयजल सप्लाई को संचालित करने वाले कर्मचारियों को 24 माह से वेतन नहीं मिलना है। वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने बुधवार से पेयजल सप्लाई बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। संविदा कर्मचारी मुकेश, रोहिताश, कपिल, कुलदीप, महेंद्र, श्रीराम, मोती लाल, शिवशंकर, रामकरण, सिराज, अजय, शाहरुख, प्रह्लाद आदि मौजूद रहे।

477 ग्राम डोडा पोस्त चूरा जप्त, आरोपी गिरफ्तार

सांभरझील (निसं)। युवा वर्ग में बढते नशे की प्रवृति के कारण हो रहे पतन को देखते हुए अवैध नशा कारोबार मे संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध ऑपरेशन नॉक आउट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मौसमवाद पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार कर उसे कब्जे से 477 ग्राम मादक पदार्थ जप्त किया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा की ओर से इस संबंध में अभियान चलाएं जाकर अपराधियों की धर पकड़ करने के निर्देश प्रदान किए थे।

विशेष अभियान के दौरान रजनीश पूनियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला जयपुर ग्रामीण, शिवलाल बैरवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू, दीपक खण्डेलवाल वृताधिकारी दूदू के निकटतम सुपरविजन तथा थानाधिकारी मौजमाबाद संजय प्रसाद के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम की ओर से सूत्रों से सूचना संकलन कर मुखबीर खास की इतला पर नासनोदा शराब ठेके के पास थड़ी के पास पुलिस टीम पंहुची तथा वहां पर एक व्यक्ति तेजपाल खारोल को थड़ी पर चाय की केतली में अवैध मादक बेचते हुये को पकडा तथा उसके कब्जे से एक एल्यूमीनियम केतली में 477 ग्राम अवैध डोडा पोस्त चूरा को जब्त कर आरोपी तेजपाल खारोल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया है। पुलिस ने बताया कि जिला जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आगे भी निरन्तर ऑपरेशन नॉक आउट अभियान के तहत इसी प्रकार कार्यवाही जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपी तेजपाल खारोल पुत्र रामचन्द्र जाति खारोल उम्र 38 साल निवासी नासनोदा थाना मौजमाबाद जिला जयपुर का रहने वाला है।

अनुष्ठान की पूर्णाहुति

निवाई । सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान मे सन्त निवास नसिंया जैन मंदिर में आर्यिका विशेष मति माताजी, आर्यिका श्रुतमति माताजी व आर्यिका सुबोध मति के सानिध्य में 7 दिवसीय सवा लाख गणधर वलय जाप्य अनुष्ठान का गुरुवार को समापन किया गया जिसमें 23 परिवारों द्वारा सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जाप्य में भाग लिया।

जैन धर्म प्रचारक विमल जौंला एवं त्रिलोक रजवास ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ पूजार्थियो ने भगवान शांतिनाथ जी के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान अनुष्ठान के अवसर पर सोधर्म इन्द्र बनने का सौभाग्य पारसमल बंटी चैनपुरा को मिला एवं विधान के यज्ञनायक बनने का सौभाग्य प्रेमचंद राजेश कुमार सांवलिया को मिला। इस दौरान सवा लाख मंत्रित जाप कलश लेने का सौभाग्य राजेन्द्र कुमार व दिलीप कुमार बगड़ी को प्राप्त हुआ।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

विधायक व कलेक्टर ने चेतना के परिजनों को 5 लाख की राशि का चैक दिया

मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत 5 लाख रुपए का चैक दिया

कोटपूतली। किरतपुरा बोरवेल प्रकरण में जिला प्रशासन का संवेदनशील प्रयास करते हुए न्यूनतम समय में परिजनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से गुरूवार को कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल तथा जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल द्वारा घर जाकर परिजनों को सहायता राशि प्रदान की गई, यह सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है, जिसमें बालिका चेतना के पिता भूपेंद्र चौधरी को कोटपूतली विधायक तथा जिला कलेक्टर द्वारा 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया तथा परिजनों का ढांढस भी बंधाया।

जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि प्रशासन की सहायता शाखा के द्वारा इस प्रकरण में सहायता प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई हैं तथा विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत प्रदान की गई इसके साथ ही उन्होंने मौजूद ग्रामीणों से अपने क्षेत्र में खुले बोरवेल तथा कुओं को बंद करने की भी अपील की। इस दौरान कोटपूतली उपखंड अधिकारी बृजेश चौधरी, परिजन तथा स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम का लाभ मिलेगा : कोटपूतली स्थानीय राजकीय एल.बी.एस. पी.जी. महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को अब घर से कॉलेज आने-जाने का बस किराया राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत दिया जायेगा। महाविद्यालय से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आने जाने पर 20 रुपये किराया दिया जायेगा। कॉलेज छात्राओं को उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पैसा ट्रांसफर करेगी। कॉलेज द्वारा छात्राओं से आवेदन में खाते की डिटेल भरवाई जायेगी, उसी बैंक में यह पैसा ट्रांसफर किया जायेगा।

कोटपूतली के किरतपुरा में बोरवेल में गिरने से मृत बालिका चेतना के पिता को विधायक हंसराज पटेल (बांए से चौथे) ने 5 लाख रूपये की राशि का चैक दिया ।

प्राचार्य डॉ. आर. के सिंह ने बताया कि महाविद्यालय में मासिक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति वाली छात्रायें ही इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र होगी। उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक मशीन द्वारा संधारित की जायेगी। नोडल अधिकारी डॉ. मधु नागर ने बताया कि किसी भी योजनान्तर्गत नि:शुल्क छात्रावास/आवास हेतु अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली छात्रायें इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होगी। तथा उक्त योजना का लाभ अधिकतम 180 शिक्षण दिवस 06 माह के लिये दिया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार की किसी भी योजनान्तर्गत ट्रांसपोर्ट का लाभ लेने वाली छात्रायें इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होगी।

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2024/डी-4230 दि. 26.12.2024
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आवेदिकागण श्रीमती सुनिता जैन पत्नी श्री शान्ति लाल जैन एवं श्रीमती श्रेष्ठा कुलकर्णी पुत्री श्री शान्ति लाल जैन द्वारा तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना कनिष्क कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 9 का नाम हस्तान्तरण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। पूर्व में तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना कनिष्क कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 9. क्षेत्रफल 277.27 वर्गगज का पट्टा श्री शान्ति लाल जैन पुत्र श्री गणेश मल बाफना के पक्ष में क्रमांक 18 दिनांक 04.03.2002 को जारी किया गया। तत्पश्चात श्री शान्ति लाल जैन पुत्र श्री गणेश मल बाफना की मृत्यु दिनांक 12.04.2024 को हो चुकी है। श्री शान्ति लाल जैन पुत्र श्री गणेश मल बाफना की मृत्यु के पश्चात आवेदिका द्वारा अपने नाम भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु राशन कार्ड एवं वारिसों के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदिकागण के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदिकागण के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह मीणा, उम्र 49 वर्ष, निवासी- सरदार सिंह बाजार, गोंदी पथ पश्चिम, सेवन हेवन के पास, जयपुर राजस्थान मेरा पुत्र पवन कुमार मीणा पुत्र श्री अशोक कुमार मीणा, उम्र 27 वर्ष, व पुत्रवधु आरती मीणा, पोत्री प्रांजल (परी) मीणा मेरे कहने में नहीं है, आये दिन झगडते है व मेरी चल व अचल सम्पत्ति को हड़पना चाहते है। इसलिए मैं इनको मेरी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था इनसे कोई संव्यवहार, क्रय विक्रय करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी अब इन तीनों का भविष्य में मेरा व मेरे परिवार का कोई सम्बन्ध नही रहेगा। सूचित रहे।
भवदीय
जयपुर (मुकेश मीणा/श्रीमती संतोष मीणा)
दिनांक 9.1.205 एडवोकेटस, मो. नं. 9829826094

नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)
सार्वजनिक सूचना दिनांक: 09.01.2025
मूल भूखण्ड सं. डी-264, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर का पट्टा श्री राजरतन प्रताप राय गिरधारीलाल पुत्र श्री गिरधरलाल को दिनांक 09.06.1944 को 1817 व.ग. का पट्टा जारी किया गया था। श्री मूजरमल खुल्लर के नाम से दिनांक 13.01.1982 को उपविभाजन किया गया। दिनांक 22.11.2023 को श्री राजीव खुल्लर पुत्र श्री प्रेम कुमार खुल्लर के नाम से 410.83 व.ग. का नाम हस्तान्तरण किया गया । श्री राजीव खुल्लर पुत्र श्री प्रेम कुमार खुल्लर द्वारा दिनांक 11.12.2023 को जरिये विक्रय पत्र श्री सुशील कुमार दुग्गड पुत्र स्व. श्री बिमल सिंह दुग्गड को 410.83 व.ग. बेचान किया गया। श्री सुशील कुमार दुग्गड पुत्र स्व. श्री बिमल सिंह दुग्गड द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर भू. सं. डी-264ए का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन पेश किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। उपायुक्त (लैण्ड), नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

न्यायालय पंच निर्णायक एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)
कमरा नं. 608, पांचवी मंजिल, मिनी सचिवालय, बनी पार्क, जयपुर
कमांक: 10010 **विज्ञप्ति नोटिस** दिनांक:- 09/01/25
(राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 60 एवं नियम 2003 के नियम 79)
राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 58 के अन्तर्गत श्रीमती पुष्पा देवी बनाम हयरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर व अन्य के विरूद्ध उक्त भूखण्ड सं. 55, कैलाश कॉलोनी, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सांगानेर टाउन, जयपुर, आवासीय योजना 311.11 वर्गगज के संबंध में न्यायालय में एक वाद विचाराधीन है। अतः इस अंतिम नोटिस द्वारा प्रतिवादी सं. 01 हयरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर, प्रतिवादी सं. 02. रीको, इण्डस्ट्रीय एरिया, मानसरोवर, जयपुर, प्रतिवादी सं. 03. नवल किशोर शर्मा पुत्र श्री नामालूम, निवासी-बी-20, मीरा मार्ग, दुध मिष्ठान भण्डार के पीछे, राम मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान, प्रतिवादी सं. 04 गणेश नारायण निठाला पुत्र नामालुम, निवासी मकान नं. 254, 255, हिम्मत नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान, प्रतिवादी सं. 05 रमेश गुर्जर पुत्र नामालुम, निवासी-20ए, जय अम्बे कॉलोनी, सोढाला, जयपुर, राजस्थान, प्रतिवादी सं. 06 सीताराम मीना पुत्र नामालुम, निवासी स्लॉट नं. ई-267, लाल कोठी, योजना जयपुर, राजस्थान एवं प्रतिवादी सं. 07 कैलाश मीना पुत्र श्री सीताराम मीना, निवासी-267, लालकोठी योजना जयपुर, राजस्थान को सूचित किया जाता है कि उक्तवाद प्रकरण के संबंध में संबंधित पक्षकारान नोटिस प्रकाशन के 15 दिवस में के भीतर-भीतर उपस्थित होकर अपना जवाब/साक्ष्य मय दस्तावेज न्यायालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर), मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा प्रतिवादीगण के जवाब/ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड/ दस्तावेज के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय जारी कर दिया जावेगा। सूचित रहे।
(हरप्रीत कौर) पंच निर्णायक एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)

SHRI MAHESHWARI DIAGNOSTIC CENTER
(श्री माहेश्वरी समाज जयपुर द्वारा संचालित)
P-10A, "KRISHANDHAM" (Basement),
Sector-2, Vidhyadhar Nagar,
Jaipur-302039 (Raj.) Ph.:+91-141-2230511
Mob. : +91 7976420180, 7976453416
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री माहेश्वरी डायग्नोस्टिक सेन्टर (श्री माहेश्वरी समाज जयपुर द्वारा संचालित) पी-10 ए. सेक्टर-2, उत्सव भवन के पास, विधाधर नगर, जयपुर.302039 में वर्ष अगस्त 2019 तक के सोनोग्राफी एवं लैब के दस्तावेज नष्ट किये जा रहे है। किसी व्यक्ति को इन दस्तावेजों से संबंधित कोई जानकारी चाहिये तो कृपया 10 दिन के अंदर डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रशासन से संपर्क करे। उसके बाद डायग्नोस्टिक सेन्टर की इन दस्तावेजों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके उपरांत दस्तावेजों नष्ट कर दिये जायंगे।
दिनांक:09.01.2025 आज्ञा से
श्री माहेश्वरी डायग्नोस्टिक सेन्टर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत समक्ष किराया अधिकरण
मुकाम क्रम-2 महसनगर प्रथम जयपुर
रामेश्वर बनाम रियाज मौ.
दावा बाबत अर्जी धारा-9
मुकद्दमा नं. ....सन्..
बनामः-
मुसम्मी अखलाब वल्द मौ. इम्तियाज कौम मुसलमान साकिन चीनी की बुर्ज गणगौरी बाजार जयपुर
चूंकि..... ने इस अदालत में तारीख.... माह ..... सन्20....को 1. रामेश्वर बनाम 2. रियाज मौ.. दायर की जो कि बाद में फोत हो गया और चूंकि .....मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्की .....मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. ..बनाये जावें। लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1..... आपको तारीख 05 माह 02 सन् 2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकद्दमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.01.205
को जारी किया गया
मोहर अदालत
आज्ञा से रीडर
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम सं. 5 किराया अधिकरण द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक 4
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
स्थान कि. रेनवाल
गणपतलाल विरूद्ध भंवरी देवी वगै.
वाद/प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4
प्रार्थना पत्र संख्या ..... सत्र
नाम मंजू देवी पुत्री गंगाराम जाति कुम्हार (कु